(c) Whether it is also a fact that there federations have also recommended to Government for a national survey of wheat-based food industry; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) to (d) Recently some suggestions have been received only from Confederation of Indian Food Trade & Industry, New Delhi in connection with development of Agro-Food Industry Development policy during 8th Five Year Plan, which *inter-alia* includes establishment of a National Wheat Board for wheat development relating to its millling and processing etc. and survey of wheat based food industry. These would be given consideration at the time of formulation of 8th Five Year Plan.

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid.

The Deputy Chairman in the Chair

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, कल से एक संसद सदस्य गायब है, उनका पता नहीं है... **(व्यवधान)**

उपसभापति: हमारे हाउस के जो संसद सदस्य खो गए थे वह तो आ गए। लोकसभा के सदस्यों की बात लोकसभा में होगी। राम अवधेश सिंह जी पिछली शाम को आ गए। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके बारे में लोकसभा के सदस्य पूछें... **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): जो संसद सदस्य गायब हैं, उनके बारे में सरकार को बयान देना चाहिए यहां पर, यह हमारी मांग है... **(व्यवधान)**

उपसभापति: मैंने कहा कि वह लोकसभा में पूछें... **(व्यवधान)**। पहले पेपर्स ले होने दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सांसद गायब हैं, यह गंभीर मामला है... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me finish my regular business. (*Interruptions*) let me finish my regular business first Yes, Mr. Devi Lal.

I. Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishad (Temporary supersession) second Amendment Act, 1989 (No. 4 of 1989).

II. Report and Accounts (1988-89) of the Coconut Development Board, Cochin and related papers.

उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद् (अस्थायी अधिक्रमण) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 248/89]

II. नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (4) और धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए नारियल विकास बोर्ड, कोचीन का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 76/89]

(ii) 1988-89 के वर्ष के दौरान नारियल विकास बोर्ड के क्रियाकलाप और उपलब्धियां।

(iii) 1988-89 के वर्ष के लिए नारियल विकास बोर्ड के कार्यकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की प्रगति का विवरण। [पुस्तकालय में रखे गए। II और III के लिए **देखिए** सं० एल० टी० 75/89]

I. Report and Accounts (1988-89) of the Projects and Development India Limited, Sindri and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Bombay and related papers.

III. Report and Accounts (1988-89) of the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Cochin and related papers.

श्री देवी लाल: मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की भी एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए प्रोजेक्टस एण्ड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिंदरी का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए **देखिए** सं० एल० टी० 249/89]

II. (क) 1988-89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टेलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए **देखिए** सं० एल० टी० 79/89]

III (क) 1988-89 वर्ष के लिए फर्टेलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कंपनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए **देखिए** स० एल० टी० 250/89]

I. Report and Accounts (1988-89) of the National Cooperative Union of India, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1988-89) of the National Co-operative Tobacco Growers Federation Limited, Anand and related papers.

III. Report and Accounts (1987-88) of the Animal Welfare Board of India, Gandhi Nagar, Madras and related papers.

श्री देवी लाल : मैं निम्नलिखित पत्रों की भी एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) (i) 1988-89 के वर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिए** सं० एल० टी० 77/89]

(ii) 1988-89 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय सहकारिता संघ के वार्षिक लेखे और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) सहकारिता संघ के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। (ii) और (iii) के लिए **देखिए** सं० एल० टी० 78/89]

(ख) (i) 1988-89 के वर्ष के लिए नेशनल कोआपरेटिव टोबेको ग्रोअर्स फेडरेशन लिमिटेड, आणंद का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) और (ii) के लिए **देखिए सं० एल० टी० 74/89]**

(ग) (i) 1987-88के वर्ष के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, गान्धी नगर, मद्रास का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन सहित।

(ii) बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iii) ऊपर (ग) (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) से (iii) के लिए **देखिए** सं० एल० टी० 73/89]